कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2211 /FP/UK/ROAD/1234/2015 :देहरादून:दिनांक: 15 फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.153 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल नं0 FP/UK/ROAD/12314/2015)

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/55/2015/एफ0सी0/1339 दिनांक 28–09–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 18.31 हे0 ग्राम–कनौली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 51,02,356.00 (रू0 इक्कावन लाख दो हजार तीन सौ छप्पन) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–कनौली, पटवारी क्षेत्र–भगोती, तहसील–चौखुटिया, जनपद–अल्मोड़ा में चिन्हित 18.31 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 77,34,285.00 (रू0 सत्तर लाख चौतीस हजार दो सौ पिचासी) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेयी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धत्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का Geo referemce Map & Sol Toposheet Map मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**

7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई CA Scheme जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत काफल के वृक्ष लगाने का प्राविधान किया गया है। संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–6)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या :– **/FP/UK/ROAD/1234/2015 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड, लो0नि0वि0, द्वाराहाट।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक